

16/11/26
Not Press
by

16.11.26

पत्रावली सेवा (ई) वाली अधिवक्ता उपायुक्त
वाली अधिवक्ता द्वारा आदेशों का प्रक Not Press
अंकित करने एवं वादपत्र में कोई कार्रवाई
नहीं करने का निर्देशन किया गया। वाली द्वारा
उत्पन्न वाद में कोई कार्रवाई नहीं करने से
वाली द्वारा उत्पन्न वाद अन्तर्गत द्वारा 88, 89
शपथकार कार्रवाई अधिनियम में कोई
कार्रवाई अंगीकृत नहीं है। अतः वाली द्वारा
उत्पन्न वाद जारी किया गया है। निर्दिष्ट
केवल सुनाया गया।

पत्रावली फॉर्मल शुमार लेकर
दाखिल दफ्तर से ऑन नम्बर से कम है।

16/11/26
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा